न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी– श्री कैलास चन्द्र लखारा, आ0ए0एस0

अपील :आरटीए 277/2018

उनवान

1–श्री पोखर पिता तुलछा गुर्जर निवासी जोधा का खेड़ा तहसील आसीन्द
2–श्री लादू पिता हेमा गुर्जर निवासी जोधा का खेड़ा तहसील आसीन्द
3– श्री हीरा पिता हेमा गुर्जर निवासी जोधा का खेड़ा तहसील आसीन्द
4– श्री हिन्दु पिता हेमा गुर्जर निवासी जोधा का खेड़ा तहसील आसीन्द
5– श्रीमती जिया पत्नि हेमा गुर्जर निवासी जोधा का खेड़ा तहसील आसीन्द

——— अपीलार्थीगण

बनाम

1– श्री उगमा पिता लच्छु गुर्जर निवासी जोधा का खेड़ा तहसील आसीन्द
2– श्री दयाराम पिता लच्छु गुर्जर निवासी जोधा का खेड़ा तहसील आसीन्द
3– श्री रघुनाथ पिता लच्छु गुर्जर निवासी जोधा का खेड़ा तहसील आसीन्द
4– मु0 उदी बेवा लच्छु गुर्जर निवासी जोधा का खेड़ा तहसील आसीन्द
5– श्री मांगू पिता बीरम गुर्जर निवासी जोधा का खेड़ा तहसील आसीन्द
6– श्री मेवा(सेवा) पिता बीरम गुर्जर निवासी जोधा का खेड़ा तहसील आसीन्द
7–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब आसीन्द

———प्रत्यर्थीगण

अपील विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ) आसीन्द के प्रकरण संख्या 45/2014 वाद निर्णय दिनांक 28.06.2017

अभिभाषकः– 1–श्री भैरूलाल बापना अधिवक्ता–अपीलार्थीगण
2–श्री दूदाराम कुमावत अधिवक्ता–प्रत्यर्थी संख्या 1 से 6
3–श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 05.03.2020

1– अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की शामलाती कृषि आराजीयात वाके ग्राम बोरेला तहसील आसीन्द के खाता संख्या 151 की आराजी नम्बर 174 रकबा0.14 हैक्टेयर, आ0नं0 175 रकबा 0.11 है0, आ0नं0 177 रकबा 0.18 है0, आ0नं0 178 रकबा 0.14 है0, आ0नं0 190 रकबा 1.08 है0, आ0नं0 191 रकबा 0.44 है0, आ0नं0 378 रकबा 0.31 है0, आ0नं0 379 रकबा 0.19 है0, आ0नं0 380 रकबा 0.23 है0, आ0नं0 381 रकबा 0.11 है0, आ0नं0 433 रकबा 0.35 है0, आ0नं0 434 रकबा 0.18 है0, आ0नं0 435 रकबा 0.17 है0, आ0नं0 993 रकबा 0.67 है0, आ0नं0 994 रकबा 0.09 है0, आ0नं0 995 रकबा 0.22 है0, आ0नं0 996 रकबा 0.24 है0, आ0नं0 997 रकबा 0.14 है0, आ0नं0 1012 रकबा 0.03 है0, आ0नं0 1013 रकबा 0.26 है0, आ0नं0 1014 रकबा 0.09 है0, आ0नं0 1023 रकबा 0.05 है0, आ0नं0 1025 रकबा 0.04 है0, आ0नं0 1031 रकबा 0.04 है0, आ0नं0 1032 रकबा 0.05 है0, आ0नं0 1035 रकबा 0.18 है0, आ0नं0 1038 रकबा 0.11 है0, आ0नं0 1046 रकबा 0.23 है0, आ0नं0 1227/1360 रकबा 0.36 है0, आ0नं0 1238 रकबा 0.86 है0, आ0नं0 1239 रकबा 0.34 है0, आ0नं0 1240 रकबा 0.41 है0, आ0नं0 1241 रकबा 0.54 है0, आ0नं0 1242 रकबा 0.26 है0, आ0नं0 1243 रकबा 0.31 है0, आ0नं0 1244 रकबा 0.04 है0, आ0नं0 1245 रकबा 0.37 है0, आ0नं0 1282 रकबा 1.37 है0 कुल कीता 38 कुल रकबा 11.17 हैक्टेयर लगानी 205.10 रूपये नकल जमाबन्दी सम्वत् 2066 से 69 में दर्ज रेकार्ड है।

2– उक्त वर्णित आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 सह खातेदार के रूप में दर्ज है। हाल जमाबन्दी में खातेदारान के रूप में नाथू पिता बीरम व दाखी बेवा बीरम का नाम दर्ज हे परन्तु नाथू व दाखी लाऔलाद मृत्यु हो जाने से उन्हें पक्षकार कायम नहीं किया गया है। वादीगण का उक्त आराजीयात में विरासत से 1/3 हिस्सा दर्ज रेकार्ड होकर इसी अनुसार काबिज हो उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं।

3– वाद वर्णित आराजीयात का विभाजन नहीं होने से वादीगण को अपने कब्जे काश्त की आराजीयात को सुधारने व लगान जमा कराने में परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा प्रतिवादीगण आए दिन कब्जे को लेकर विवाद उत्पन्न करते हैं इसलिए उपरोक्त शामलाती आराजीयात का कब्जे काश्त व हिस्से अनुसार विभाजन किया जाना न्यायोचित है।

4– अधीनस्थ न्यायालय में वाद पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण निर्णय दिनांक 28.06.2017 के द्वारा वादीगण का वाद खारिज किया गया। जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

5– अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। पत्रावली प्राप्त होने पर उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। बहस में वकील अपीलार्थीगण ने निवेदन किया कि वादीगण का वाद दिनांक 18.05.2015 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार आसीन्द से दिनांक 30.03.2017 तक विभाजन प्रस्ताव चाहे गए। दिनांक 30.03.2017 को विभाजन प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने पर आगामी पेशी 13.07.2017 नियत की गई। परन्तु उक्त दिनांक से पूर्व ही दिनांक 28.06.2017 को वाद संख्या 45/2014 को कैम्प बोरेला पर बिना वादीगण को सूचना दिए वाद पत्र खारिज कर दिया। कैम्प की सूचना नहीं होने से वादीगण उपस्थित नहीं हो सके तथा प्रतिवादी रूगनाथ ने कैम्प में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद वर्णित आराजीयात को अन्य को बेचान कर दिया व खाता भी रद्दोबदल कर दिया गया है फिर भी उन्हें वाद में पक्षकार नहीं बनाए जाने से वाद खारिज फरमाया जावे । उक्त प्रार्थना पत्र की प्रति न तो वादीगण को उपलब्ध कराई गई न ही प्रार्थना पत्र पर समुचित सुनवाई का अवसर दिए बिना ही वाद खारिज कर दिया जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे अनुतोष में प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड फरमाया जावे।

6– बहस में वकील प्रत्यर्थीगण ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा विधिवत सुनवाई के पश्चात वादीगण का वाद विधिवत खारिज किया गया है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

7– हमने उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 में आराजीयात कीता 37 रकबा 9.80 हैक्टर भूमि लछू पिता कनीराम 1/3, मांगू, सेवा पिता बीरम, दाखी बेवा बीरम लादू, हीरा, हिन्दु पिता हेमा, जीवा बेवा हेमा, पोखर पिता तुलछा 2/3 गुर्जर साकिन देह खातेदार दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में नकल जमाबन्दी सम्वत् 2066 से 2069 की संलग्न है जिसमें भी इसी तरह इन्द्राज है अन्य कोई दस्तावेज पत्रावली में प्रस्तुत नहीं है जबकि प्रत्यर्थीगण ने दिनांक 28.06.2017 को कैम्प में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें अंकित किया कि विवादित आराजीयात का पक्षकारान द्वारा अन्य को बैचान कर दिया गया जिनको आज दिनांक तक पक्षकार कायम नहीं किया गया है परन्तु उक्त प्रार्थना पत्र में यह कहीं भी स्पष्ट अंकित नहीं किया है कि वादवर्णित

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

आराजीयात को प्रत्यर्थीगण के द्वारा किस दस्तावेज से किसे हस्तान्तरित की गई है । मात्र प्रार्थना पत्र में भूमि को अन्य को बेचान करने व उन्हें वाद में पक्षकार कायम नहीं किए जाने का तथ्य अंकित कर देने मात्र से ही अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी /वादी का वाद खारिज कर दिया जबकि न्यायालय को उक्त तथ्य के सम्बन्ध में वादीगण को सुनना चाहिए था तथा प्रत्यर्थी/प्रतिवादी से उस व्यक्ति का नाम रिकॉर्ड पर लिया जाना चाहिए था परन्तु ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं अपना कर सीधे ही प्रार्थना पत्र के आधार पर ही वाद खारिज किया जो विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है। प्रकरण तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव में नियत था। तहसीलदार से भी विभाजन प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ एवं बिना कैम्प की सूचना जारी किए ही अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण वाद को खारिज किया जो सिविल प्रक्रिया संहिता की प्रक्रियाओं के संधारण के बिना ही किया गया है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.06.2017 अपास्त योग्य ठहरता है।

8— अतएव अपील अपीलार्थी स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.) आसीन्द के प्रकरण संख्या 45/2014 में पारित निर्णय दिनांक 28.06.2017 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में पक्षकारान को उचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर जवाब एवं दस्तावेज आदि प्राप्त कर विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 16/4/20 को उपस्थित रहें।

9— निर्णय आज दिनांक 05.03.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chandra Lakhara
Date: 2020.03.05 18:41:27 IST
Reason: SelfAttested
Location: